सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), बोम्बे

बनाम

मैसर्स एचआईसीओ उद्यम

(सिविल अपील संख्या 2418/2006)

29 अप्रैल 2008

[डॉ. अरिजीत पासायत, पी. सदाशिवम और डॉ. मुकुंदकम शर्मा जे.जे.]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962:

धारा 28(1)- हस्तांतरणीय मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस- निर्धारिती द्वारा खरीदा गया- अधिसूचना संख्या 203/92 की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए निर्धारिती को कारण दर्शाए नोटिस- निर्धारिती के पक्ष में न्यायाधिकरण का निर्णय- निर्धारित: इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधिसूचना में मूल लाइसेंस धारक द्वारा कथित उल्लंघन का कोई संदर्भ नहीं था, न्यायाधिकरण का निर्णय किसी भी कमी से ग्रस्त नहीं।

अधिसूचना संख्या 203/92 सीम. दिनांकित 19.05.1992

प्रत्यर्थी-निर्धारिती ने मूल लाइसेंस धारक से दिनांक 20.04.1994 को हस्तांतरणीय मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस खरीदा। अधिसूचना संख्या 203/1992 सीमा दिनांकित 19.04.1992 की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कारण दर्शाए और मांग नोटिस दिनांकित 04.09.1999 जारी किया गया। सीमा शुल्क आयुक्त

(आयात) ने मांग की पुष्टि की। हालांकि, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क आयुक्त (आयात) और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि अंतरिती को एक बार फिर यह साबित करने के लिए मज़बूर नहीं किया जा सकता कि अधिसूचना के तहत निर्यात दायित्व मूल लाइसेंस धारक द्वारा पूरा किया गया था; और यह कि हस्तांतरणकर्ता को अधिसूचना की शर्त (V)(a) को पूरा करने के लिये नहीं बुलाया जा सकता है। व्यथित, राजस्व विभाग ने हस्तगत अपील दायर की। अपील खारिज करते हुए, अदालत ने, निर्धारित: इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 04.03.1999 को जारी कारण बताओ नोटिस में प्रश्नगत लाइसेंस के हस्तातंरणकर्ता के द्वारा कथित उल्लंघन का कोई उल्लेख नहीं था, सी ई एस टी ए टी का निर्णय हस्तक्षेप करने के लिये किसी भी प्रकार की कमी से ग्रस्त नहीं है। [पैरा 6][3-जी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2418 / 2006

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकर: पश्चिम क्षेत्रीय पीठ, मुंबई के अपील संख्या C/1345/2002- मुंबई में अंतिम आदेश संख्या M/1152/WZB/2004/C-1 दिनांकित 20/09/2005 से

साथ

सी.ए.एस. 2007 का 2447, 4009, 2006 का 4680 और 2008 का 645 और 2529

वी. शेखर, टी.आर. अंध्यारूजिना, डी.ए. दवे, एस.के. बागरिया, एस. गणेश, अभिज्ञा, अल्का शर्मा, अरविंद कुमार शुक्ला, डी.पी. परमेश्वरन, बी. कृष्णा प्रसाद, तरूण गुलाटी. जसवीर शेरगिल, तुषार जारवार, प्रवीण कुमार, वी.एम. डोपीफोड, नितिन मेहता, राजेश कुमार, चंद्रशेखर, हिमांशु शेखर, अरूणा चैधरी, अनुपम लाल दास, रूबीसिंह

आहुजा, जावेद मुजफ्फर, प्रणव सैन, उमेश के. खेतान, रोहिना नाथ और दिप्ती सरीन- उपस्थित पक्षों के लिये।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरीजीत पासायत जे. द्वारा सुनाया गया।

इस अपील में सीमा, आबकारी और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण, पश्चिम क्षैत्रीय पीठ, मुंबई (संक्षेप में सी.एस.टी.ए.टी.) द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है। अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को अनुमति देते।

संक्षेप में पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार है: अपीलकर्ता ने मैसर्स अमर तरण एक्सपोर्ट्स, नई दिल्ली के नाम पर जारी लाइसेंस दिनांकित 19.01.1993-94 सहित हस्तांतरणीय मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस (संक्षेप में वी ए बी ए एल) अर्जित किए और या खरीदे। इसे दिनांक 20.04.1994 को खरीदा गया था। अपीलकर्ता उस आयातित खेप के आधार पर बिल ऑफ एंट्री नम्बर 881 दिनांक 30.09.1994 के माध्यम से उसी को शुल्क मुक्त अनुमति दी गई थी। अपीलकर्ता की अधिसूचना संख्या 203/92, दिनांक 19.05.92 की कतिपय शर्तों के कथित उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस दिनांकित 04.03.1999 द्वारा कारण बताने के लिये बुलाया गया था, कि क्यों सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 28(1) के प्रावधान के अधीन रूपये 16,74,702/- की वसूली और मांग नहीं की जा सकी। नोटिसकर्ता ने आरोपों से इंकार किया। हालांकि, आयुक्त सीमा शुल्क (आयात) ने ब्याज और शास्ति सहित एक लाख रूपये की मांग की पुष्टि की। इसे मूल लाइसेंस धारक और लाइसेन्स द्वारा संयुक्त रूप से देय माना गया था।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 111 के तहत माल समाहित किये जाने योग्य था। चूंकि माल उपलब्ध नहीं था, इसलिए अधिनियम की धारा 112(ए) के तहत तीन लाख रूपये की शास्ति व एक लाख रूपये का जुर्माना

लगाया गया था। विचारों में भिन्नता को देखते हुए मामले को न्यायाधिकरण की बड़ी पीठ को भेजा गया।

न्यायाधिकरण ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया:

‘‘इस प्रकार, उपरोंक्त तरीके से प्राप्त संतुष्टि अंतिम है, और सीमा शुल्क विभाग पर बाध्यकारी है। सीमा शुल्क विभाग अपीलकर्ता आयातक को, जो कि हस्तांतरिती है, को एक बार फिर यह साबित करने के लिए मज़बूर नहीं कर सकता है कि मूल लाइसेंस धारक द्वारा अधिसूचना के अनुसार और इनपुट स्टेज क्रेडिट का लाभ उठाए बिना निर्यात दायित्व पूरा किया गया है।

हस्तांतरिती को अधिसूचना संख्या 203/92 सीमा. की (V)(a) की शर्त को पूरी करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता। वह मूल लाइसेंस धारक है, जिसे उपरोक्त उल्लेखित शर्त को पूरा करना है, न कि लाईसेंस के हस्तांतरिती को। परिणाम स्वरूप रेफरेंस का तद्नुसार उत्तर दिया जाता है।"

इस अपील में उपरोंक्त निष्कर्षों को चुनौती दी गई है। प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने यह बिंदु उठाया है कि कारण बताओ नोटिस में इसकी कोई भूमिका नहीं बताई गई है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह देखा गया है कि 04.03.1999 को जारी कारण बताओ नोटिस में प्रश्नगत लाइसेंस के हस्तांतरणकर्ता, मैसर्स अमर तरण एक्सपोर्टस के अभिकथित उल्लंघन का कोई संदर्भ नहीं था, CESTAT के निर्णय में हस्तक्षेप किये जाने योग्य कोई कमी नहीं है। अपील खारिज की जाती है।

आर. पी.

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मुजफफर चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।